इलेक्ट्रानिक कार्ड के शर्तें एवं निबंधन

खाताधारक और/या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को बैंक द्वारा दिए जाने वाले कार्डों एवं उसके उपयोग पर ये शर्तें एवं निबंधन लागू होती हैं और इनका नियंत्रण करती हैं। ये शर्तें और निबंधन ("शर्तें") बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों के अतिरिक्त होंगे।

परिभाषाएँ :

- बैंक : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
- कार्ड : भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राहक को जारी किया गया कार्ड
- कार्डधारक : ग्राहक जिसे कार्ड दिया गया है
- एटीएम : एटीएम से आशय किसी भी एटोमेटेड टेलर मशीन से है, जो भारत अथवा विदेश में भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी निर्दिष्ट शेयर्ड नेटवर्क पर है, जहां अन्य चीजों के अलावा कार्ड धारक भारतीय स्टेट बैंक के पास खोले गए अपने खाते से पैसा निकालने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है।
- पिन : कार्ड धारक को 4 अंकों का ऑटो जनरेटेड पिन (वैयक्तिक पहचान संख्या) दिया जाता है, जिसे ग्राहक आईवीआर, एसएमएस, भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी जनरेट कर सकता है। कृपया और अधिक विवरण के लिए कार्ड के साथ भेजे गए स्वागत पत्र को देखें।
- व्यापारिक प्रतिष्ठान (एमई) : व्यापारिक प्रतिष्ठान में भारत एवं विदेश स्थित दुकान, स्टोर, रेस्टारेंट, होटल और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि शामिल होंगे, जो कार्ड को स्वीकार करते हैं।
- पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल (पीओएस): पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भारत अथवा विदेश के व्यापारिक प्रतिष्ठान के इलेक्ट्रोनिक टर्मिनल होते हैं, जो कार्ड लेनदेन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं और जहां कार्ड धारक बैंक के अपने खाते को नामे कर खरीद करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है।
- इंटरनेट वेबसाइट : इससे आशय किसी भी जगह स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों की वेबसाइटों से है, जो इन वेबसाइटों के जरिए अथवा अन्य तरीके से खरेदे गए वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कार्ड धारक द्वारा किए गए भुगतान को स्वीकार करती हैं और इनमें अन्य के अलावा स्टोर, शॉप, रेस्टारेंट, होटल, युटिलिटी कंपनी, रेल्वे, एयरलाइन संगठन आदि की वेबसाइट शामिल हैं, जो कार्ड को स्वीकार करने का विज्ञापन देते हैं।

- निर्दिष्ट खाता : वैयक्तिक ऋण के रूप में ओवरड्राफ्ट खाता (कार्ड धारक द्वारा निर्दिष्ट) होता है, जिसमें कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत राशि/देय बकायों को नामे करना होता है।
- ग्राहक शाखा/होम शाखा : वह शाखा, जिसके साथ कार्ड धारक का मूल संबंध है।
- प्रिविलेज : समय-समय पर अपने विवेकाधिकार पर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड धारक को दी जाने वाली कोई भी डिस्काउंट योजना।
- रिवार्ड प्वाइंट खाता : बैंक द्वारा लॉयल्टी योजना के तहत प्रत्येक खाताधारक के लिए रखा गया ट्रैकिंग खाता, जिसमें प्वाइंट ऑफ सेल्स एवं ऑनलाइन लेनदेनों के लिए कार्ड द्वारा अर्जित किए गए रिवार्ड प्वाइंट संचित किए जाते हैं। रिवार्ड प्वाइंट बदले भी जा सकते हैं, कृपया www.statebankrewardz.com/www.sbi.co.in देखें। कार्ड धारक द्वारा अर्जित रिवार्ड प्वाइंटों को संचित किया जा सकता है और आकर्षक उपहारों के लिए रिडीम भी किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन: वैयक्तिक ऋण के रूप में दिए गए ओवरड्राफ्ट खातों से जुड़े इलेक्ट्रानिक कार्ड का उपयोग केवल देशीय डिजिटल लेनदेनों के लिए किया जा सकता है।
- लेनदेन : लेनदेनों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में की गई खरीदियां/ली गई सेवाएं एवं ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं।
- एसबीआई एटीएम : भारतीय स्टेट बैंक के सभी एटीएम।
- शेयर्ड नेटवर्क : इससे आशय वीसा अथवा मास्टर कार्ड अथवा रुपे अथवा कोई अन्य नेटवर्क से है, जो कार्ड को स्वीकार करते हैं।

विवरण :

✓ पिन/ओटीपी : कार्ड धारक यह स्वीकार करता है और आश्वासन देता है कि पिन/ओटीपी से निर्दिष्ट खाते तक पहुँचने की सुविधा मिलती है और कार्ड धारक यह स्वीकार करता है कि सभी आदेशों एवं ऐसे पिन/ओटीपी के इस्तेमाल से सूचना में किए गए बदलावों के साथ-साथ पिन/ओटीपी का इस्तेमाल, उसकी गोपनीयता एवं संरक्षण के लिए वह जिम्मेदार है। कार्ड धारक किसी भी रूप में पिन/ओटीपी को रिकार्ड नहीं करेगा, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को पिन/ओटीपी की जानकारी हो जाए। कार्ड धारक पिन द्वारा प्रमाणित लेनदेन एवं अनुदेश पूरा करने के लिए बैंक को प्राधिकार देता है और वह उससे मुकर नहीं सकता। कार्ड धारक के पिन के सत्यापन से भेजे गए लेनदेन अनुदेश अथवा कार्ड धारक द्वारा भेजे गए/भेजे हुए

माने गए लेनदेन अनुदेश को छोड़कर अन्य लेनदेन अनुदेश की प्रामाणिकता की जांच करना बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। कार्ड धारक पिन/ओटीपी की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शर्तों में उल्लिखित सभी उपयुक्त कदम हर समय लेगा। बैंक अपने संपूर्ण विवेकाधिकार पर वर्तमान कार्ड के लिए नया पिन जारी कर सकता है। यहाँ पर दिए गए प्रावधानों एवं बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार कार्ड धारक कार्ड तथा/अथवा पिन/ओटीपी के अनुचित/कपटपूर्ण/अनधिकृत/डूप्लीकेट/गलत उपयोग के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता। कार्ड किसी व्यक्ति के हाथों में आने अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पिन/ओटीपी की जानकारी हो जाने के कारण कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से होने वाले किसी भी तरह के परिणामों के लिए भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति को खाता सहित सेवाएँ तक पहुंच मिलती हैं, तो ऐसी सुविधा एवं उपयोग अथवा अन्य के आधार पर अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसे दुरुपयोग/उपयोग से बैंक को होने वाली किसी भी देयता, व्यय अथवा नुकसान की कार्ड धारक बैंक को भरपाई करेगा।

- ✓ गुम हुए कार्ड : कृपया कार्ड नंबर एवं उससे जुड़े खाता क्रमांक को एक अलग जगह पर लिख कर रखें, जो तुरंत उपलब्ध हो। कार्ड धारक को उपलब्ध माध्यमों (अर्थात एसएमएस, इन्टरनेट बैंकिंग, योनो, योनो लाइट मोबाइल एप, एसबीआई क्विक मोबाइल एप्लिकेशन, एसबीआई शाखा आदि के जरिए) से कार्ड को तुरंत ब्लॉक करना होगा।
- ✓ कार्ड बदलना : कार्ड धारक कार्ड गुम होने की लिखित सूचना भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा को दे सकता है और उसके बदले में दूसरा कार्ड देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध प्राप्त होने पर शाखा गुम हुए कार्ड के बदले में शुल्क लेकर नया कार्ड देने की व्यवस्था करेगी।
- ✓ ग्राहक के खाते को नामे करना : कार्ड धारक द्वारा कार्ड के उपयोग से किए गए अथवा किए गए माने गए उन सभी आहरणों एवं भुगतानों जिनका सबूत बैंक के अभिलेखों में है और जो अंतिम और कार्ड धारक पर बाध्य होंगे, के लिए कार्ड धारक के निर्दिष्ट खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को होगा। कार्ड धारक, बैंक को उसके द्वारा समय-समय पर सूचित रखरखाव/सेवा शुल्क के साथ निर्दिष्ट

खाते को नामे करने का अधिकार देता है। अद्यतन सेवा शुल्कों की जानकारी के लिए कृपया https://bank.sbi देखें।

- ✓ लेनदेन : एटीएम अथवा प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल/ई-कॉमर्स द्वारा जनरेट किया गया लेनदेन रिकार्ड, कार्ड धारक के लिए बाध्यकारी होगा और वह तब तक अंतिम होगा जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा ठीक नहीं किया जाता। जांच की गई एवं ठीक की गई राशि कार्ड धारक के लिए बाध्यकारी होगी।
- ✓ खाते को बंद करना : जो कार्ड धारक निर्दिष्ट खाते को बंद करना और कार्ड को सौंप देना चाहता है, उसे पहले लिखित में आवेदन देना होगा और आवेदन के साथ कार्ड सौंप देना होगा।
- ✓ कार्ड की वैधता : कार्ड की वैधता कार्ड पर मुद्रित होती है। कार्ड समाप्ति के महीने की अंतिम तारीख तक वैध होता है।
- ✓ कार्ड का नवीकरण : बैंक कार्ड की समाप्ति तिथि पर अपने आप नि:शुल्क रूप से कार्ड का नवीकरण करता है और उसे ग्राहक के पंजीकृत पते पर भेज देता है। अतः कार्ड धारकों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अनुसार केवाईसी और बैंक के पास पंजीकृत पते का अद्यतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे नवीकरण के समय अस्वीकृति एवं कार्ड सुपुर्दगी विफलताओं से बचा जा सके। किसी कारण से यदि ग्राहक के पंजीकृत पते पर सुपुर्दगी किए बिना नवीकृत कार्ड लौटा दिया जाता है तो ऐसे में कार्ड होम शाखा को भेज दिया जाएगा, जहां से ग्राहक को शुल्क देकर कार्ड लेना होगा।
- ✓ संपर्क केंद्र : और अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए कृपया भारतीय स्टेट बैंक के 24 X 7 हेल्पलाइन अर्थात 1800-11-2211 (टोल फ्री), 1800-425-3800 (टोल फ्री) अथवा 80-26599990 पर संपर्क करें। देश के सभी लैंडलाइन एवं मोबाइल फोन से टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन : इलेक्ट्रानिक कार्ड से एटीएमों या पीओएस टर्मिनलों/ई-कॉमर्स पर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन वर्जित है।**
- ✓ लेनदेन लागत : भारतीय स्टेट बैंक से भिन्न बैंकों के एटीएम पर स्वीकार्य सीमाओं से अधिक किए गए लेनदेन (नों) के लिए अतिरिक्त लागत कार्ड धारक के खाते को नामे किया जा सकता है। अद्यतन सीमाओं के लिए कृपया https://bank.sbi देखें।

- ✓ संशोधनों को अधिसूचित करना : ब्याज, शुल्क अथवा दर एवं गणना की विधि सहित कार्ड की शर्तों, विशेषताओं एवं दिए जाने वाले लाभों में संशोधन करने, उन्हें हटाने अथवा जोड़ने का विवेकाधिकार बैंक को होगा। कार्ड के अधीन सभी राशियों का भुगतान किए जाने तक इन संशोधित शर्तों के अंतर्गत हुए सभी व्ययों एवं सभी अन्य देयताओं के लिए कार्ड धारक जिम्मेदार होगा। बैंक संशोधित शर्तों की सूचना बैंक की वेबसाइट पर अथवा बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए अनुसार अन्य रीति से देगा। संशोधन सहित बैंक की वेबसाइट पर दर्ज की गई इन शर्तों एवं निबंधनों की नियमित समीक्षा के लिए कार्ड धारक जिम्मेदार होगा। शर्तों एवं निबंधनों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उन्हें लागू किए जाने की तारीख से एक महीने पहले कार्ड धारक को उपर्युक्त तरीके से दी जाएगी।
- ✓ शासित कानून एवं अधिकार-क्षेत्र : बैंक और कार्ड धारक इस बात से सहमत होंगे कि इन शर्तों की वजह से उत्पन्न किसी भी कानूनी कार्रवाई अथवा कार्यवाही को भारत के मुंबई स्थित न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनल पर लाया जाएगा और वे अपने आपको न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत लाएँगे। तथापि बैंक इन शर्तों एवं निबंधनों से उत्पन्न होने वाली कानूनी अथवा कार्यवाही अपने विवेकाधिकार पर किसी भी अन्य न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा अन्य उपयुक्त मंच पर शुरू कर सकता है और कार्ड धारक इस अधिकार-क्षेत्र के लिए एतदद्वारा सहमति देता है। ये शर्तें भारत के कानून के अनुसार शासित होंगे।
- ✓ माल एवं सेवाओं की गुणवत्ता : सुपुर्दगी में देरी, गैर-सुपुर्दगी, कार्ड धारक द्वारा माल न प्राप्त करना अथवा खराब माल प्राप्त करना सहित कार्ड धारक द्वारा कार्ड के इस्तेमाल से खरीदे गए माल, माल की वारंटी अथवा खरीदी गई अथवा ली गई सेवा के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि कार्ड, माल खरीदने तथा/अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्ड धारक को दी गई सुविधा मात्र है, माल की गुणवत्ता, सुपुर्दगी अथवा अन्य के लिए बैंक कोई भी वारंटी नहीं देता है अथवा कोई भी अभ्यावेदन नहीं करता। माल के बारे में कोई विवाद अथवा दावा होने पर कार्ड धारक को व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ मिलकर उसका समाधान करना होगा। दावा अथवा वाद के होने से कार्ड धारक बैंक को देय सभी शुल्कों के भुगतान से मुक्त नहीं होगा और कार्ड धारक ऐसे शुल्कों का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत होता है।

- ✓ शुल्क एवं प्रभार : बैंक की प्रचलित दरों पर आवेदन/नवीकरण के समय कार्ड के साथ जुड़े प्राथमिक खाते को कार्ड के वार्षिक शुल्क नामे किए जाएंगे। यह शुल्क वापस नहीं किए जा सकते। कार्ड धारक हर समय निर्दिष्ट खाते में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि बनाए रखेगा। कार्ड जारी करने अथवा पुनः जारी करने तथा/अथवा कार्ड पर कार्ड धारक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए किसी भी समय कोई भी शुल्क/प्रभार वसूलने का अधिकार बैंक को होगा। कार्ड के इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप देय किसी भी सरकारी शुल्क, ड्यूटी अथवा नामे अथवा देय कर कार्ड धारक की जिम्मेदारी होगी और इसे लगाए जाने पर बैंक ऐसे शुल्क, ड्यूटी अथवा कर कार्ड धारक के निर्दिष्ट खाते को नामे करेगा। साथ ही शेयर्ड नेटवर्क के प्रचालक भी उनके एटीएम/प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल/अन्य उपकरण के उपयोग हेतु प्रत्येक के लिए लागू अन्य शुल्क/व्यय के साथ अतिरिक्त शुल्क की कटौती कार्ड धारक के निर्दिष्ट खाते से कर सकते हैं। कार्ड धारक कार्ड के संबंध में उसके द्वारा बैंक को देय राशि की वसूली में होने वाले किसी भी व्यय की कटौती करने का प्राधिकार बैंक को देता है और उसकी क्षतिपूर्ति करता है। न्यूनतम शेष न बनाए रखने पर बैंक अपने विवेकाधिकार पर दांडिक शुल्क ले सकता है। न्यूनतम शेष के अतिरिक्त कार्ड धारक बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार कार्ड संबंधी सभी शुल्कों की वसूली कार्ड के साथ जुड़े निर्दिष्ट खाते को नामे कर वसूल करने का प्राधिकार बैंक को देता है। बैंक द्वारा निर्धारित प्रयोज्य शुल्क एवं व्ययों का विवरण भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट तथा/अथवा उसकी शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। आपके कार्ड से संबंधित शुल्कों का विवरण https://bank.sbi पर उपलब्ध है।
  - लेनदेन को शासित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :
- ✓ कार्ड सेवा निर्दिष्ट खाते में पहले से उपलब्ध शेष राशि/सीमा के तहत खरीद करने के लिए है। खरीदारी एवं सेवा शुल्कों की पूर्ति करने हेतु निर्दिष्ट खाते में पर्याप्त शेष बनाए रखना कार्ड धारक की जिम्मेदारी होगी।
- ✓ बिना किसी कारण दिए जब कभी भी अपेक्षित होने पर नई सुविधाएं देने अथवा वर्तमान सुविधाएं हटाने का अधिकार बैंक को होगा।

- ✓ बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना कोई कारण दिए कार्ड के आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। कार्ड के उपयोग हेतु अदा किए गए शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाते।
- ✓ बैंक कार्ड के साथ मिलने वाली सुविधा को वापस लेने और व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा उनके प्रतिनिधियों अथवा बैंक के किसी भी अन्य प्रतिनिधि के जरिए कार्ड धारक को कार्ड वापस करने के लिए कह सकता है।

- ✓ कार्ड धारक की मृत्यु, दिवालिया होने की सूचना मिलते ही अथवा परिचालन शर्त को बदलने के लिए संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक से पत्र, सक्षम न्यायालय अथवा राजस्व प्राधिकारी अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा)/विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम के उल्लंघन के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक से कुर्की आदेश प्राप्त होने अथवा कार्ड धारक के कारण बैंक को उसका अता-पता न मालूम होने पर बिना किसी सूचना के कार्ड के उपयोग को रद्द किया जाएगा।
- ✓ **इलेक्ट्रानिक कार्ड से देशीय/अंतरराष्ट्रीय एटीएमों से नकदी आहरण वर्जित है।**
- ✓ किसी भी कारण से व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा ऑनलाइन पर किया गया कोई भी लेनदेन विफल होने अथवा किसी भी कारण से यहाँ उल्लिखित किसी भी सुविधा का लाभ उठा नहीं पाने की स्थिति में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ✓ किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से माना किए जाने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा अथवा कार्ड धारक को आपूर्तित माल अथवा सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कार्ड धारक व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ सभी दावों अथवा विवादों का सीधे समाधान करेगा और व्यापारिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्ड धारक का कोई भी दावा बैंक के विरुद्ध समंजन (सेट ऑफ) अथवा जवाबी दावा नहीं होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा अधिग्राहक से धन प्राप्त होने पर ही राशि कार्ड धारक के निर्दिष्ट खाते को जमा की जाएगी। कार्ड धारक व्यापारिक प्रतिष्ठान से लेनदेन पावती की प्रति प्राप्त करेगा और अपने निजी रिकार्ड के लिए उसे रखेगा।
- ✓ बैंक अपने विवेकाधिकार पर कार्ड के किसी भी लेनदेन को अनुमोदित/अस्वीकृत कर सकता है।
- ✓ एटीएम अथवा प्वाइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल पर कार्ड के इस्तेमाल से किया गया लेनदेन ग्राहक के लिए बाध्यकारी होगा।
- ✓ कार्ड धारक को अपने कार्ड के जरिए दिए गए आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए।

- ✓ भुगतान प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ✓ कार्ड बैंक की संपत्ति है और बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर कार्ड धारक द्वारा बेशर्त और तुरंत कार्ड बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी कारण दिए कार्ड को रद्द करने और उसके परिचालन एकपक्षीय रूप से बंद करने का अधिकार बैंक को होगा। बैंक का निर्णय अंतिम और कार्ड धारक पर बाध्यकारी होगा। कार्ड गैर-हस्तांतरणीय है।
- ✓ बैंक को लिखित सूचना देकर और कार्ड को दो टुकड़ों में काटकर वापस कर कार्ड धारक किसी भी समय कार्ड को बंद कर सकता है। किसी भी समय सूचना देकर अथवा बिना कोई सूचना देकर बैंक अपने विवेकाधिकार पर अपेक्षित परिस्थितियों में कार्ड को रद्द कर सकता है।

नवीनतम जानकारी के लिए कृपया https://bank.sbi देखें अथवा भारतीय स्टेट बैंक के 24X7 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।